# भारत-बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग की 7वीं बैठक

| यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित | |
|---|---|
| **प्रारम्भिक परीक्षा** | **मुख्य परीक्षा** |
| **प्रथम प्रश्नपत्र :** अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ | **द्वितीय प्रश्नपत्र :** अंतर्राष्ट्रीय संबंध |

## संदर्भ

भारत-बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग के सातवें दौर में उद्घाटन भाषण देते विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उल्लिखित किया कि भारत और बांग्लादेश दोनों को अपराध मुक्त सीमा और नदी प्रबंधन के लिए संयुक्त रूप से मिल कर कार्य करना चाहिए।

कोविड -19 महामारी की शुरुआत के बाद से यह पहली इन-पर्सन जेसीसी बैठक थी, जिसका पिछला संस्करण 2020 में आयोजित किया गया था।

विदित है कि भारत-बांग्लादेश जेसीसी का 8वां दौर 2023 में बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा।

## विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

### द्विपक्षीय सहयोग के किन बिन्दुओं को संदर्भित किया गया

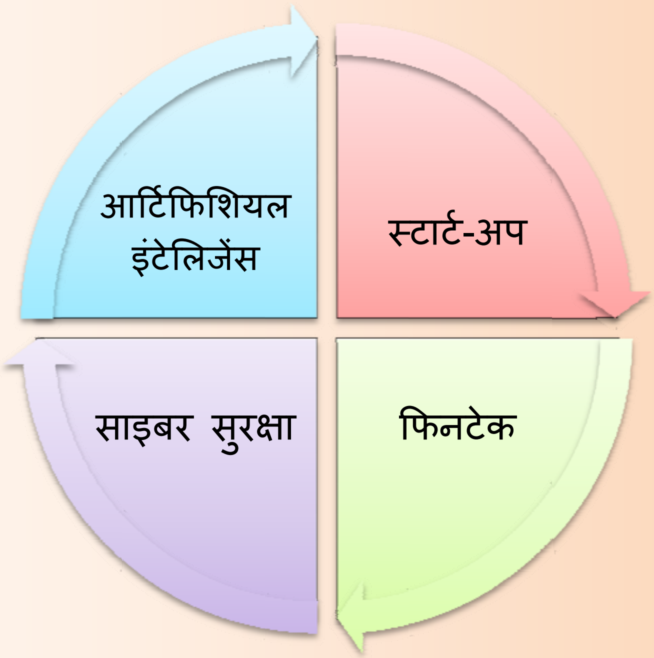

**सुंदरबन में साझा पर्यावरण जिम्मेदारी पर विमर्श**

- दोनों देश 54 नदियों के प्रबंधन और उनके संरक्षण के साथ-साथ सुंदरबन में साझा पर्यावरण जिम्मेदारी साझा करते हैं।
- ज्ञातव्य है कि ये वास्तव में ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हमें जलवायु कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
- भारतीय विदेश मंत्री ने रेखांकित किया कि उनकी लंबी सीमा का बेहतर प्रबंधन भी एक प्रमुख प्राथमिकता है, सीमा सुरक्षा बलों को सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, और दोनों देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए कि सीमा अपराध मुक्त रहे।

**निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करने पर सहमति बनी**

- दोनों पक्षों ने साझा नदियों और जल संसाधन प्रबंधन, आईटी और साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करने और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की
- ध्यातव्य है कि दोनों पक्षों के मध्य उच्च स्तरीय यात्राओं के अलावा, विभिन्न द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से गहन जुड़ाव रहा है। साथ ही, नए उत्साह और नियमितता के साथ साझेदारी-निर्माण के प्रयासों को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इस संबंध में, दोनों मंत्रियों ने अपने अधिकारियों को दोनों लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए मुद्दों को संबोधित करने और टिकाऊ समाधान खोजने पर ध्यान देने के साथ सहयोग में तेजी लाने का दायित्व सौंपा गया।

**रखाइन मुद्दे पर परिचर्चा**

- दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान में रेखांकित किया कि दोनों देश रखाइन प्रांत से म्यांमार में जबरन विस्थापित लोगों की सुरक्षित, तेज और स्थायी वापसी के महत्व पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जिन्हें वर्तमान में बांग्लादेश द्वारा आश्रय दिया जा रहा है।
- विदित है कि बांग्लादेश रखाइन, रोहिंग्या से दस लाख से अधिक विस्थापित लोगों की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2022 इस समुदाय के निर्वासन का पांचवां वर्ष है।

**भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता**

- भारत और बांग्लादेश ने इस क्षेत्र में उचित कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 2014 में भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किए।
- दोनों देशों के बीच दस्तावेजों के आदान-प्रदान से 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते (एलबीए) को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसके तहत दोनों देशों के बीच 161 एनक्लेवों का आदान प्रदान किया गया है।
- समझौते के अंतर्गत 111 सीमा परिक्षेत्रों को 51 के बदले बांग्लादेश को हस्तांतरित किया जाएगा, जो भारत का हिस्सा बन जाएगा।
- यह समझौता एक पुराने भूमि सीमा विवाद को सुलझाता है, जो औपनिवेशिक काल से है, क्योंकि भारत 51 परिक्षेत्रों के बदले बांग्लादेश को 111 सीमा परिक्षेत्र हस्तांतरित करता है।
- यह इन एन्क्लेव के अंतर्गत रहने वाले 50,000 से अधिक लोगों के लिए नागरिकता के प्रश्न का भी समाधान करता है।

## भारत-बांग्लादेश संबंध

- भारत ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 6 दिसंबर, 1971 को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी।
- भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
- भारत-बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4,096.7 किलोमीटर है।
- भारत और बांग्लादेश ने 2021 में अपने राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई।
- दोनों देशों के बीच 54 सामान्य नदियाँ हैं।
- भारत और बांग्लादेश ने 2015 के भूमि सीमा समझौते के माध्यम से सीमा समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन कई नदियों के बंटवारे पर वार्ता प्रगति पर है, जो सीमाओं को परिभाषित करती हैं और दोनों पक्षों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करती हैं।
- यद्यपि, बांग्लादेश विशेष रूप से तीस्ता के पानी का एक उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहा है, जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग से होकर बहती है।

**स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस**

# भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

| यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित | |
|---|---|
| **प्रारम्भिक परीक्षा** | **मुख्य परीक्षा** |
| **प्रथम प्रश्नपत्र :** अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ | **द्वितीय प्रश्नपत्र :** अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के हित और भारतीय अर्थव्यवस्था |

## संदर्भ

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने 9 वर्ष पश्चात दीर्घकाल से लंबित व्यापार और निवेश समझौते के लिए वार्ता फिर से शुरू कर दी।

विदित है कि भारत और यूरोपीय संघ द्वारा संतुलित और व्यापक व्यापार समझौते के लिए वार्ता को फिर से शुरू करने की घोषणा के एक वर्ष पश्चात ब्रसेल्स में वार्ता सम्पन्न हुई।

## विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ (ईयू) के मुख्यालय में आयोजित एक संयुक्त कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्की ने औपचारिक रूप से भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता को फिर से शुरू किया।
- इसके अलावा, एक निवेश संरक्षण समझौते (आईपीए) और एक जीआई समझौते के लिए भी वार्ता शुरू की गई।
- एफटीए पर अगले दौर की बातचीत 27 जून से एक जुलाई तक नई दिल्ली में होगी।

## उद्देश्य

- इसका उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना है, अपितु दोनों पक्षों के साझा मूल्यों को बढ़ावा देना, जलवायु की रक्षा के लिए काम करना और आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है।
- इसका अंतिम लक्ष्य यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापक पैमाने पर अप्रयुक्त व्यापार और निवेश क्षमता को अधिकतम करना है।

**पृष्ठभूमि**

- गत वर्ष 8 मई, 2021 को पोर्टो में आयोजित भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में एक संतुलित, महत्वाकांक्षी, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता फिर से शुरू करने और आईपीए पर नए सिरे से बातचीत शुरू करने और जीआई पर एक अलग समझौता-वार्ता के लिए एक समझौता किया गया था।
- दोनों साझेदार अब लगभग नौ साल के अंतराल के बाद मुक्त व्यापार समझौता वार्ता फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 2013 में पहले की बातचीत को सौदे के दायरे और अपेक्षाओं में अंतर के कारण छोड़ दिया गया था।
- अप्रैल 2022 में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन की दिल्ली यात्रा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हाल की यूरोप यात्रा ने मुक्त व्यापार समझौता वार्ता को गति दी और वार्ता के लिए एक स्पष्ट रोडमैप को निर्धारित करने में मदद की।

**यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण?**

- यह भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते में से एक होगा, क्योंकि यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- भारत-यूरोपीय संघ के व्यापारिक कारोबार ने 2021-22 में 43.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 116.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का अभूतपूर्व कारोबार किया है।
- यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 57 प्रतिशत बढ़कर 65 बिलियन डॉलर हो गया। भारत का यूरोपीय संघ के साथ निर्धारण से अधिक व्यापार है।

<u>भारत-ईयू संबंध</u>

- दोनों पक्ष 120 बिलियन यूरो के वार्षिक व्यापार के साथ प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं।
- यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जिसका 2021 में भारतीय व्यापार का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा है।
- भारत यूरोपीय संघ का 10वां सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है, जिसका 2021 में यूरोपीय संघ के व्यापार में दो प्रतिशत से अधिक का योगदान है।

- दोनों भागीदारों के एकसमान आधारभूत मूल्यों और उनके साझा हितों के साथ साथ उन्हें विश्व की दो सबसे बड़ी खुली बाजार की अर्थव्यवस्थाओं के रूप में ध्यान में रखते हुए, यह व्यापार समझौता आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और सुरक्षित करने, हमारे व्यवसायों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने और लोगों को महत्वपूर्ण लाभ लाने में मदद करेगा।
- दोनों पक्ष निष्पक्षता और पारस्परिकता के सिद्धांतों के आधार पर व्यापार वार्ता को विस्तृत, संतुलित और व्यापक बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं।

- साथ ही, द्विपक्षीय व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाले बाजार पहुंच के मुद्दों को भी संबोधित करने का प्रयास किया गया।

**प्रस्तावित निवेश संरक्षण समझौते (आईपीए)**

- प्रस्तावित आईपीए, निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए सीमा पार निवेश के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।
- जीआई समझौते से हस्तशिल्प और कृषि-वस्तुओं सहित जीआई उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पारदर्शी और अनुमान-योग्य नियामक वातावरण स्थापित होने की संभावना है।
- दोनों पक्ष समानांतर तौर पर तीनों समझौतों पर बातचीत करने और उन्हें एक साथ समाप्त करने का लक्ष्य बना रहे हैं।
- तीनों समझौतों के लिए पहले दौर की वार्ता 27 जून से 1 जुलाई, 2022 तक नई दिल्ली में होगी।

**मुक्त व्यापार समझौता**

- मुक्त व्यापार समझौता वार्ता प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संतुलित व्यापार समझौते बनाने और व्यापार तथा निवेश में सुधार के लिए मौजूदा व्यापार समझौतों में सुधार लाने के लिए भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
- मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दो या दो से अधिक देशों के मध्य सम्पन्न व्यापारिक संधि है, जिसके अंतर्गत शामिल देश कुछ दायित्वों, यथा- आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने, निवेशकों और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर सहमति व्यक्त करते हैं।
- इसमें व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे मुद्दों को शामिल किया जाता है। सीईपीए में व्यापार के नियामक मुद्दों को भी शामिल किया जाता है।
- सन 1995 में विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापार को सरल बनाने के लिए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) पर सहमति बनी।
- विदित है कि इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की थी।
- इसके बाद एक और प्रणाली का उद्भव हुआ, जिसे मुक्त व्यापार समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें दो देश या देशों का समूह आपस में समझौता कर सकते हैं।

- भारत ने 1998 में सबसे पहले श्रीलंका के साथ समझौता किया। इससे पहले भारत ने मलेशिया व सिंगापुर से क्षेत्रीय व्यापार समझौता (Regional Trading Agreements- RTA) कर चुका था।

## भारत का अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता / समझौते पर हस्ताक्षर

- भारत वर्तमान में ईयू के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इज़राइल के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर वार्ता करने की प्रक्रिया में है।
- हाल ही में भारत और यूके ने भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के दूसरे दौर की वार्ता पूर्ण कर ली है।
- भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) या प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही, दोनों देशों ने निवेश की सुविधा के लिए प्रस्तावित विदेशी निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते (FIPPA) पर भी चर्चा कर रहे हैं।
- 2 अप्रैल, 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) पर हस्ताक्षर किए गए। यह दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं दोनों में एक मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) स्थापित करता है।

**स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड**